B.A. III, Pap. VI
M.A. JOHN

Caste System

जाति व्यवस्था भारती समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता, पूरा भारतीय समाज इसकी धुरी के चारों ओर घूमता रहता है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार तथा समाज में परिवर्तन होने के बाद भी जाति व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन बहुत धीमी गति से उत्पन्न हुआ है। बल्कि व्यवहारिक रूप से कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जातिय भेद भाव और अधिक प्रबल होता जा रहा है। इस व्यवस्था ने सम्पूर्ण आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढाँचे को न केवल प्रभावित किया है बल्कि उसे संचालित और नियंत्रित करने का भी कार्य किया है। जाति व्यवस्था समाज के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान है। भारत में इस व्यवस्था का आधार इतना मजबूत है कि इसने हिन्दुस्तान में रहने वाले मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों को भी प्रभावित किया और मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था का विकास

हो गया। Sir Herbert Risley ने इसकी परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है" जाति परिवारों के समूह का एक संकलन है जिनका एक सामान्य नाम है जो एक काल्पनिक पुरुष अथवा देवता की उत्पत्ति और सामान्य वंश परम्परा का दावा करते हैं। एक ही परम्परागत व्यवसाय को करने का दावा करते हैं और एक भारतीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपनी ऐसी राय व्यक्त करने योग्य है।"

इस परिभाषा में एक तरफ जाति की संरचनात्मक व्याख्या प्राप्त होती है तो दूसरी ओर जाति एवं गोत्र के पारस्परिक सम्बंध की भी स्पष्ट व्याख्या मिलती है।

S. N. Majumdar तथा T. N. Makaw के शब्दों में "जाति एक बन्द वर्ग है"

Cooley के अनुसार " जब एक वर्ग लगभग निश्चित रूप में अनुवांशिक हो जाता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं"।

अर्थात अगतिशील वर्ग को जाति कहा जाता है अर्थात अजीवि अजीवन इसकी सदस्यता में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिये जाति के अनुसार एक व्यक्ति का सामाजिक स्थिति जीवन भर अपरिवर्तित रहती है पर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक जाति से दूसरी जाति के बीच सामाजिक दूरी पायी

जाती है तथा खान, पान, शादी विवाह से सम्बन्धित कुछ विशेष नियम पाये जाते हैं। जातिय संस्तरण में सर्वोच्च स्थान Brahmin, उसके पश्चात क्षत्री, वैश्य तथा सबसे निम्न स्थान शूद्र को प्राप्त होता है। विभिन्न परिभाषाओं और तथ्यों के आधार पर जाति की निम्नलिखित विशेषताओं की चर्चा की जा सकती है।

(1) जन्म जात सदस्यता — व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उस जाति का स्वतः सदस्य बन जाता है।

(2) निश्चित स्थिति — जाति विशेष में जन्म लेने के कारण उसकी समाजिक स्थिति निश्चित होती है जैसे ब्रह्मण का पुत्र ब्रह्मण ही होगा। और समाज में उसकी स्थिति सबसे ऊँची होगी।

(3) अन्तर्विवाह — प्रत्येक जाति के व्यक्तियों अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। उसे जाति के अन्तर्विवाह के नियम का पालन करना होता है।

(4) परम्परागत व्यवसाय — एक जाति के व्यक्ति को अपनी ही जाति का व्यवसाय अपनाना पड़ता है।

(5) खान पान पर प्रतिबन्ध — सभी जाति के व्यक्ति ऊँची नीची जातियों के यहाँ भोजन

नहीं कर सकते।

(6) ऊँची नीच की भावना - जातियों और उनकी उपजातियों में भी ऊँच नीच की भावना पायी जाती है।

(7) समाज का खण्डात्मक विभाजन - इस व्यवस्था में सम्पूर्ण हिन्दू समाज को अनेक खण्डों में विभाजित कर दिया है। जाति के प्रत्येक खण्डों के सदस्यों की स्थिति, कार्य, पद और स्थान निश्चित होते हैं।

— x —

Scanned with CamScanner